[अर्थ जगत]

सर्वाधिक बढ़ने वाले शेयर

एसबीआई	5.13 प्रतिशत
आईसीआईसीआईसीआई बैंक	3.08 प्रतिशत
बजाज फिनसर्व	2.18 प्रतिशत
एनटीपीसी	2.11 प्रतिशत
बजाज फाइनेंस	1.61 प्रतिशत

सर्वाधिक घटने वाले शेयर

मारुति	4.11 प्रतिशत
टाटा मोटर्स	4.06 प्रतिशत
सन फार्मा	1.67 प्रतिशत
भारती एयरटेल	1.61 प्रतिशत
इंडसइंड बैंक	1.53 प्रतिशत

सर्राफा

दिल्ली

सोना (प्रति दस ग्राम)स्टैंडर्ड	79,963
बिटुर	47,320
गिन्नी (प्रति आठ ग्राम)	39,795
चांदी (प्रति किलो) टंच हाजिर	1,01,000
वायदा	70,857
चांदी सिक्का लिवाली	900
बिकवाली	880

मुद्रा विनिमय

मुद्रा	क्रय	विक्रय
अमेरिकी डॉलर	84.07	84.09
पौंड स्टर्लिंग	90.94	105.45
यूरो	76.54	88.78
चीन युआन	08.24	13.38

पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम अपरिवर्तित रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर पर पड़े रहे। तेल विपणन करने वाली प्रमुख कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की वेबसाइट पर जारी दरों के अनुसार, देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इनकी कीमतों के यथावत रहने के साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 92.15 रुपए प्रति लीटर पर रहा।

हथियार निर्यात में 'मेड इन इंडिया' की धूम

- भारत से रक्षा उपकरण खरीदने वालों में करीब 100 देश शामिल
- अमेरिका, फ्रांस व आर्मेनिया शीर्ष खरीदार

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (एजेंसियां)। भारत का हथियार निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की ओर से 21,083 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया गया था। भारत से रक्षा उपकरण खरीदने वालों में करीब 100 देश शामिल हैं।

भारत द्वारा इन देशों को किए जाने वाले रक्षा निर्यात में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डोर्नियर-228 विमान, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल , पिनाका रॉकेट और बख्तरबंद वाहन जैसे कुछ पूर्ण हथियार प्रणालियां और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रक्षा उपकरणों का निर्यात अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया को किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्मेनिया आकाश वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 155 मिमी आर्टिलरी गन जैसे तैयार हथियार प्रणालियों का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरा है। अमेरिका को एयरक्राफ्ट और हेल्टीकॉप्टर में उपयोग होने वाले पार्ट्स का निर्यात भारत द्वारा किया जाता है।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि हैदराबाद में टाटा बोइंग एयरोस्पेस वेंचर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए पार्ट्स बना रहा है। इसके बदले में फ्रांस बहुत सारे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के प्रति देश की प्रतिबद्धता हमें रक्षा उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रही है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में देश का रक्षा निर्यात 11,233 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले साल की इसी अवधि में भारत का रक्षा निर्यात केवल 6,342 करोड़ रुपए था। इस प्रकार इसमें 77 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 10 वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में लगभग 10 गुना की वृद्धि हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 10 साल पहले 2014-15 में केवल 1,941 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात होता था।

शहरों की मांग में आई नरमी पर नजर रखने की जरूरत : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक समीक्षा रिपोर्ट में सितम्बर की समीक्षा में यह बात बताई।

साथ ही मंत्रालय ने अपनी इस रिपोर्ट में कई मामलों पर सावधान रहने के संकेत भी दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इससे लोगों का शहरों की तरफ रुझान कम हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में। इसके चलते शहरों की मांग में आई नरमी पर नजर रखने की जरूरत है। भारी बारिश के चलते खाद्यान्न के पर्याप्त बफर स्टॉक और मौसमी फसल से जबरदस्त पैदावार की उम्मीद से फसल कीमतों पर दबाव कम होने के आसार जताए गए हैं। सितम्बर की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर दो महीने की नरमी के बाद इस महीने बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण अनियमित मानसून के चलते कुछ सब्जियों की आपूर्ति में आई कमी है।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी-27, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई-400051 कार्पोरेट कार्यालय : कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चतुर्थ तल, बिल्डिंग नंबर 21, इनफिनिटी पार्क, ऑफ डब्ल्यू.ई. हाईवे, गोरेगांव, मुंबई -400097 : शाखा/आंचलिक कार्यालय : बैंक, प्रथम तल, मुक्त प्रयाग कॉम्प्लेक्स, निरंकारी फर्नीचर के समीपस्थ, पंडरी, रायपुर-492 001, सी. जी.

शुद्धिपत्र

कर्जदार मैसर्स **गोयल ब्रदर्स** के संबंध में 29-10-2024 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित ई-नीलामी सूचना विज्ञापन के संदर्भ में देखें, जिसमें अचल सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि असावधानीवश 20-11-2024 प्रकाशित की गई है। तथापि, अचल सम्पत्तियों के निरीक्षण की सही तिथि 13-11-2024 है। अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेगा।

स्थान : रायपुर, सी.जी. हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 30-10-2024 कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, DADOO BAIE SINGH S/O BRAJGOPAL SINGH resident of HOUSE NO: K 29 CLASSIC CITY, PARSULIDIH TEKRI-2, POST GIROD, RAIPUR, (C.G.) -493111 have changed my old name DADOO BAIE SINGH S/O BRAJGOPAL SINGH so in future I should be recognized by my new name that is DADU BHAI SINGH S/O BRAJGOPAL SINGH in all Government and other documents.

DADU BHAI SINGH
HOUSE NO: K 29 CLASSIC CITY, PARSULIDIH TEKRI-2, POST GIROD, RAIPUR, (C.G.) -493111

नई दिल्ली। दोपहिया वाहनों के लिए ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाने वाली कंपनी एएसके आटोमोटिव लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही 67 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 41 करोड़ रुपए की तुलना में 63 प्रतिशत अधिक है।

आम सूचना का खंडन

(भूमि कुल खसरा नं. 04 रकबा 3.80 हेक्ट. अर्थात (9 एकड़ 38 डिसमिल) ग्राम- गोड़ी मंदिर हसौद के संबंध में)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दैनिक भास्कर में दिनांक 29/09/2024 को आम सूचना प्रकाशित किया गया है जिसमें बताया गया है कि विक्रेता श्रीमती मीनाक्षी विश्वकर्मा द्वारा मौजा ग्राम- गोड़ी, मंदिर हसौद, रायपुर (छ.ग.) के हक, आधिपत्य, स्वत्व व कब्जे की भूमि खसरा नं.- 04 रकबा 3.80 हे. अर्थात (9 एकड़ 38 डिसमिल) प.ह.नं. 16 (पूर्व में प.ह.नं.11) रा.नि.मं. मंदिर हसौद तह. मंदिर हसौद, जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है का पक्का सौदा किया गया है। इसी तरह 28/10/2024 को उक्त आम सूचना का खंडन किया जाकर बताया गया है कि श्री तुषार अग्रवाल का उक्त भूमि के संव्यवहार में साझेदारी रही है इनके सहमती के बिना उक्त संपत्ति की विक्रय नहीं की जा सकती ।

उक्त दोनों आम सूचना का खंडन इस आशय के साथ किया जाता है कि मेरा पक्षकार श्री गोपाल धीवर सरपंच ग्राम पंचायत गोड़ी द्वारा उक्त समस्त संपत्ति के सम्बन्ध में तथा उक्त संपत्ति में संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपत्ति दर्ज किया गया है, प्रकरण संबंधित तहसीलदार मंदिर हसौद एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी आरंग के न्यायालय में राजस्व प्रकरण विचाराधीन है एवं फर्जी संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में उक्त समस्त संपत्तियों के सम्बन्ध में कोई भी खरीदी, बिक्री व अन्य संव्यवहार किसी भी व्यक्ति /संस्था या निकाय द्वारा न किया जावे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह शुन्य एवं शुन्य करणीय माना जावेगा ।

सो सूचना का खंडन जानते हुए तत्काल अमल में लावें ।

स्थान-रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 29.10.2024

भवदीय
एस. कुरैशी (वकील)
कुरैशी चेम्बर महबूब मंजिल
मस्जिद के पास रामनगर
गुढ़ियारी रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. 9753947865

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, SUKHBEER SINGH S/O BUTA SINGH resident of 13 MURGI FARM TATIBANDH RAIPUR (C.G.) 492099 have changed my old name SUKHBEER SINGH S/O BUTA SINGH so in future I should be recognized by my new name that is SUKHBIR SINGH S/O BUTA SINGH in all Government and other documents.

SUKHBIR SINGH
13 MURGI FARM TATIBANDH
RAIPUR (C.G.) 492099

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/रा.न्या.वि.प्र/राय/निविदा/M-4402/2024 दिनाक 25/10/2025

Tender

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छ.ग.) के सायबर फोरेंसिक शाखा हेतु निम्नांकित उपकरण का क्रय किया जाना है, जिसके लिए पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित किया जाता है :-

निविदा जारी करने की तिथि	दिनांक 30.10.2024
निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 27.11.2024 साय 05.00 बजे तक
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	दिनाक 28.11.2024 दोपहर 03.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 28.11.2024 सायं 04.00 बजे

S. No.	उपकरण / साफ्टवेयर सामग्री का नाम (Instrument for Cybercrime/Digital Forensic Lab)	तादात
01	(iii) Digital Evidence Seizer Kit	02
02	(ix) Field Mobile Forensic Tool	01

विस्तृत विवरण कार्यालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिकरापारा, पुजारी पार्क के पास रायपुर (छ.ग.) पिन कोड-492001, दूरभाष (कार्यालय) 0771-3501122 कार्यालय के वेबसाईट www.fsl.cg.nic.in से आनलाईन आवेदन का विस्तृत जानकारी एवं निविदा फार्म प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है। निविदा फार्म संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैव से बैंक ड्राफ्ट रू. 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) का बनवाकर प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

हेतु-संचालक
राज्य न्यायालयिक विज्ञान
जी-242503492 प्रयोगशाला रायपुर (छ.ग)

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग दुर्ग (छ.ग.)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-15
Email id: ee-res.durg@gov.in

ज्ञा.क्रं.2391/व.ले.लि./ग्रा.यां.से./2024-25 दुर्ग, दिनांक 22/10/2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	Repairing and renovation (Profile sheet fixatiaon) of Multipurpose Hall and gym room At PM Shri School JNV Borai Durg (C.G) S.T.No. 160392	13.59

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारीhttp://eproc.cgstate.gov.in में दिनांक 23.10.2024 से देखी जा सकती है एवं ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 06.11.2024 तक है।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
जी-242503497 संभाग दुर्ग (छ.ग.)

ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

सीआईएन : यू67100टीजेड2014पीटीसी020363
कार्पोरेट कार्यालय :- कोहिनूर स्क्वायर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई-400028
ई-मेल : rajesh.jumani@omkaraarc.com/zuber.khan@omkaraarc.com/pratik.rasal@omkaraarc.com
प्राधिकृत अधिकारी एम नंबर : +918657969231

खरिशिष्ट - 4-क,
खनियम 8(6) के साथ पठित 9(1) का परंतुक देखे,
अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफासी ऐक्ट") के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। आगे, ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (ओएआरपीएल) (ओंकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) उपरोक्त कर्जदार/गारंटरों के संबंध में सम्पूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण समनुदेशन अनुबंध दिनांकित 30-09-2021 के माध्यम से इंडसइंड बैंक लिमिटेड (समनुदेशनकर्ता बैंक) से अधोवर्णित प्रतिभूति सहित, कर लिया है। तदनुसार ओएआरपीएल ने समनुदेशनकर्ता का स्थान ले लिया है और बकाया राशि वसूल करने तथा प्रतिभूतियां प्रवर्तित करने की अधिकारी बन गई है। ओएआरपीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने कर्जदार/बंधकदाता/सह-कर्जदार से नीचे वर्णित प्रतिभूत सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है। ओएआरपीएल का प्राधिकृत अधिकारी एतद्द्वारा निम्नवर्णित सम्पत्तियों की बिक्री बकाया राशि की वसूली के लिए करने का इच्छुक है और इसलिए प्रतिभूत सम्पत्तियों के क्रय हेतु सीलबंद लिफाफे मे निविदाएं/बोलियां आमंत्रित करता है। सम्पत्तियों की बिक्री नीचे वर्णित कर्जदार, सह-कर्जदार(रों) से प्रतिभूत लेनदार के रूप में ओएआरपीएल की संबंधित कालम में दर्शित बकाया राशि की वसूली के लिए सरफासी ऐक्ट की धारा 13(2) एवं 13(4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", तथा "जो भी है वहां है" और "कोई उपाय नहीं आधार" पर की जाएगी। कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं), प्रतिभूतियों, स्वामी, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत प्रेषित मांग सूचना की तिथि, कब्जा की तिथि, सुरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि मूल्य, धरोहर राशि जमा (ईएमडी) निरीक्षण की तिथि एवं समय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) का नाम	प्रतिभूत आस्ति का विवरण	सम्पत्ति स्वामी	28-10-2024 तक बकाया राशि (भारतीय रूपए में)	मांग सूचना तिथि	भौतिक कब्जा तिथि	सुरक्षित मूल्य (भारतीय रूपए में)	बोली वृद्धि मूल्य (भारतीय रूपए में)	ईएमडी (भारतीय रूपए में)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	1. मैसर्स गैलेक्सी मार्केटिंग (इसकी स्वामिनी श्रीमती अमृता नेभानी उर्फ श्रीमती अमृता तलरेजा के माध्यम से) 2. श्रीमती अमृता नेभानी उर्फ श्रीमती अमृता तलरेजा 3. श्री रवीश कुमार तलरेजा	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : दुकान नंबर 48, लोअर ग्राउंड फ्लोर, श्याम स्क्वायर, परिमाप निर्मित एरिया 215 वर्ग फीट, प्लॉट नंबर 1 के पार्ट पर स्थित, सर्वे/खसरा नंबर 117/2 एवं 136/1 का भाग, आरडीए की देवेन्द्र नगर स्कीम नंबर 32, ग्राम पंडरी तराई, पी.एच. नंबर 109, शहीद हेमू कलानी वार्ड नंबर 35, नगर, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ तथा निम्नानुसार परिबद्ध (सेल डीड के अनुसार) : उत्तर : खुला क्षेत्र दक्षिण : कॉरीडोर, पूरब : दुकान नंबर 46, पश्चिम : दुकान नंबर 49 ***सम्पत्ति का अधिक स्पष्ट विवरण श्रीमती अमृता तलरेजा उर्फ श्रीमती अमृता नेभानी पत्नी श्री रवीश कुमार तलरेजा के नाम डीड नंबर 3471 (केएच) दिनांकित 19-08-2015 में दिया गया है ।	श्रीमती अमृता नेभानी उर्फ श्रीमती अमृता तलरेजा	रू. 48,85,547.35 (रूपए अड़तालीस लाख पिच्यासी हजार पांच सौ सैंतालीस तथा पैसे पैंतीस मात्र)	23-06-2021	28-06-2023	रू. 33,25,000/- (रूपए तैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र)	रू. 10,000/-	रू. 3,32,500/- (रूपए तीन लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)	12-11-2024 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक (भेंट के पूर्व निर्धारित समयानुसार)

खाता नंबर : 055505010221, लाभार्थी का नाम : ओंकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट, बैंक नाम : आईसीआईसीआई बैंक, शाखा : बान्द्रा (ई) मुंबई, आईएफएससी कोड : **ICIC0000555**

प्रतिभागिता का बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि और समय	19-11-2024 अप. 06.00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	21-11-2024 को दोपहर 12.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक

नीलामी के नियम एवं शर्तें : बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार (ओएआरपीएल) की वेबसाइट नामतः http://omkaraarc.com/auction.php अथवा सेवा प्रदाता की वेबसाइट http://www.bankeauction.com में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित 9(1) के तहत बिक्री हेतु कानूनी नोटिस

यह सूचना उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार(रों) को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002के प्रावधानों के तहत न्यूनतम 15 (पंद्रह) दिन का कानूनी नोटिस भी है कि ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री उपरिसंदर्भित तिथि को की जाएगी।

हस्ता./-
तिथि : 30-10-2024 प्राधिकृत अधिकारी, ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
स्थान : रायपुर, छत्तीसगढ़ (ओंकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत)

रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर उद्घोषणा

क्रमांक 14887/आर.सी./रा.वि.प्रा./2024
रायपुर दिनांक 29/10/24

प्राधिकरण की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास (रायपुरा) योजनांतर्गत श्रीमती रागिनी झा पति श्री आलोक दत्त झा द्वारा फ्लैट क्रमांक पी-109 (भूतल) क्षेत्रफल 290 वर्गफुट फ्री-होल्ड पर धारित है। फ्री-होल्डधारी द्वारा फ्लैट का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 09.10.2024 को प्राप्त कर उक्त फ्लैट को क्रेता नाबा. श्री राजवीर सिंह राजपूत पिता श्री चन्द्रकांत सिंह निवासी-शिवशंकर होटल के पीछे शिव विहार कॉलोनी, महादेव घाट रोड, रायपुरा, रायपुर छ.ग. को दिनांक 16.10.2024 को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय किया गया है। क्रेता द्वारा उक्त फ्लैट हेतु प्राधिकरण में नाम दर्ज करने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त फ्लैट का नामांतरण क्रेता के नाम पर किये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति/दावा हो तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार क्रेता का नाम दर्ज करने की कार्यवाही संपादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।

दिनांक .... को जारी।

सहायक राजस्व अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
सूचना-पत्र

क्रमांक/वाचक/ना.तह./2024-2025
रायपुर, दिनांक 21.10.2024
प्रति,
प्रमोद पति शिवकुमार, रामलाल पति काशीराम, अनिता ध्रुव पति स्व. नंदकुमार, सुरेश पति जोशी ध्रुव विषय-राजस्व मामला क्रमांक/अ-6/वर्ष 2024-2025 पक्षकार संतराम साहू पिता जीवराखन लाल साहू विरूद्ध छ.ग. शासन ग्राम डंगनिया प.ह.नं. 58 तहसील व जिला रायपुर में पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित होने बाबत्।

विषयांकित संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक संतराम साहू पिता जीवराखन लाल साहू निवासी श्याम नगर रायपुर द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पत्र पेश कर लेख किया है कि आवेदक द्वारा ग्राम डंगनिया, खसरा नंबर 70/1 का भाग रकबा 2010 वर्गफुट भूमि को 20 मई 1993 को खरीदा गया है। जो कि आवासीय भूमि है जिसका नक्शा एवं पंजीयन दस्तावेज में दर्ज है। जिसका विवरण आदेश राजस्व प्रकरण क्रमांक/530 अ 2/92 वि.क.अ. 2/92/93 आदेश दिनांक 12.04.93 है लेकिन वर्तमान में कम्प्यूटरीकरण होने के कारण खसरा में कृषि भूमि दिखा रहा है का लेख करते हुए आवेदक के स्वामित्व की जमीन को दस्तावेज नक्शा में आवासीय दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त प्रकरण में आवेदित भूमि के आप भूमिस्वामी है, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि आप प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 08.11.2024 को स्वतः अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा प्रकरण में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जायेगा।

आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर नायब तहसीलदार
रायपुर

न्यायालय तहसीलदार रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-6/वर्ष 2024-2025
ग्राम रायपुरखास, प.ह.नं. 106/62
तहसील व जिला रायपुर छ.ग.
रायपुर, दिनांक 29.10.2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/दानग्रहिता श्री अजय अग्रवाल पिता श्री मोहन लाल अग्रवाल निवासी गली नंबर 01 आज का अलाप पेपर हाउस के बाजू में महेश कालोनी रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. द्वारा इस न्यायालय में धारा-110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत नामांतरण बाबत् आवेदन पत्र पेश कर लेख किया है कि आवेदक के स्वामितव एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम रायपुरखास प.ह.नं. 106/62 तहसील व जिला रायपुर में स्थित परिवर्तित भूमि शीट नंबर-13 प्लाट नंबर 24/5 रकबा 1857 वर्गफुट भूमि को दानदाता श्री मोहन लाल अग्रवाल पिता स्व. श्री प्रहलाद राय अग्रवाल निवासी गली नंबर 01 आज का अलाप पेपर हाउस के बाजू में महेश कालोनी रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. से पंजीकृत दान विलेख दिनांक 19.09.2024 को दान में प्राप्त कर दखल कब्जा प्राप्त किया है। अतः उक्त दानशुदा भूमि को पंजीकृत दान विलेख के आधार पर अपने नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज किये जाने हेतु आवेदक का निवेदन है। उक्त प्रकरण की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 21.11.2024 को होगी।

अतएव जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से अपनी लिखित आपत्ति दिनांक 21.11.2024 को इस न्यायालय में पेश करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर तहसीलदार
रायपुर

न्यायालय तहसीलदार धरसींवा तहसील धरसींवा, जिला रायपुर (छ.ग.)
ईश्तहार

ग्राम तेन्दुआ प.ह.नं. 32
रा.नि.मं. रायपुर 19 धनेली
तहसील धरसींवा जिला रायपुर छ.ग.
धरसींवा, दिनांक 16.10.2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिकाश्रीमती नीलम राजभर पति मुन्ना कुमार निवासी ग्राम तेन्दुआ तहसील धरसींवा जिला रायपुर छ.ग. द्वारा नया ऋण पुस्तिका बाबत् आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम तेन्दुआ प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. रायपुर-19 धनेली तहसील धरसींवा जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 407/4 रकबा नंबर 0.0065 हे. भूमि नीलम राजभर पति मुन्ना कुमार के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि की मूल ऋण पुस्तिका आज दिनांक तक नहीं बना है। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि की नया ऋण पुस्तिका बनाने का निवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा आपत्ति हो तो स्वयं अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 30.10.2024 को उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करसकते है नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 16.10.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर तहसीलदार
धरसींवा

न्यायालय नायब तहसीलदार रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
ईश्तहार

क्रमांक/2024-2025
ग्राम चंगोराभाठा प.ह.नं. 59
तहसील व जिला रायपुर छ.ग.
रायपुर, दिनांक 28.10.2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विकास अग्रवाल पिता श्री गोविंद राम अग्रवाल निवासी दलदलसिवनी रायपुर द्वारा अपने अधिवक्ता ए के दुबे के माध्यम से आवेदन पत्र छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 वास्ते अभिलेख दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की मौजा/ग्राम चंगोराभाठा प.ह.नं. 59 तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 221/21 रकबा 12696 वर्गफुट भूमि था। जिसमें 4746 वर्गफुट भूमि मार्ग के अंतर्गत आने से छोड़कर शेष भूमि 7950 वर्गफुट भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 28.01.2019 को पट्टा जारी किया गया। जो परिवर्तित भूमि खसरा नंबर 221/27 बना हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्त करते समय विक्रय की गई परिवर्तित भूमि को खसरा नंबर 221/21 कृषि भूमि से रकबा काटा गया है। विक्रयशुदा भूमि परिवर्तित भूमि 221/27 से काटा जाना था। आवेदक की कृषि भूमि खसरा नंबर 221/21 रकबा 4746 वर्गफुट भूमि होना था जो वर्तमान में 800 वर्गफुट भूमि है जो त्रुटिवश हुई है तथा हल्का पटवारी के मैनुवल रिकार्ड में सही है तथा हल्का पटवारी द्वारा की गई ऑनलाईन में त्रुटि पाई गई। आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि खसरा नंबर 221/21 रकबा 800 वर्गफुट भूमि की त्रुटि सुधारकर रकबा 4746 वर्गफुट करवाना चाहता है। अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ऑनलाईन अभिलेख को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया है जो कि जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो वे नियत सुनवाई दिनांक 18.11.2024 तक स्वतः अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर नायब तहसीलदार
रायपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार 8 ए रायपुर मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

संदर्भः-जिला-रायपुर तहसील-रायपुर प.ह.नं. 00070 टिकरापारा ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक आरडी-2024254407 25600061

तहसील रायपुर के प.ह.नं. 00070 के अंतर्गत ग्राम टिकरापारा के वर्तमान भूमिस्वामी रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा मुख्यकार्यपालन पिता/पति रायपुर पता सा. देह के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 293/22 0.0222 में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता प्रबुद्ध प्रतीक मैत्रा पिता/पति एस.के. मैत्रा पता निवासी एच.आई.जी. सी-36 शैलेन्द्र नगर रायपुर छ.ग. के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण /अभिलेख दुरूस्ती /खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 15.11.2024 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय नायब तहसीलदार 8 ए रायपुर पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/आममुख्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 29.10.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर नायब तहसीलदार
रायपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार 8 ए रायपुर मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

संदर्भः-जिला-रायपुर तहसील-रायपुर प.ह.नं. 00070 टिकरापारा ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक आरडी-2024254407 25600038

तहसील रायपुर के प.ह.नं. 00070 के अंतर्गत ग्राम टिकरापारा के वर्तमान भूमिस्वामी रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा मुख्यकार्यपालन पिता/पति रायपुर पता सा. देह के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 293/22 0.0253 में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता भावेश वल्र्यानी, योगेश वल्र्यानी, गुलशन चांदवानी पिता/पति रमेश वल्र्यानी पता शैलेन्द्र नगर रायपुर छ.ग., पुष्पा वल्र्यानी पिता/पति रमेश वल्र्यानी पता शैलेन्द्र नगर रायपुर छ.ग. के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण /अभिलेख दुरूस्ती /खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 11.11.2024 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय नायब तहसीलदार 8 ए रायपुर पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/आममुख्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 18.10.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर नायब तहसीलदार
रायपुर

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रायपुर-07 (मोवा) तहसील व जिला रायपुर सीमांकन के संबंध में आम सूचना

दिनांक 21.10.2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका ए.आई.एम. ईन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपर्स द्वारा भागीदार आनंद सिंघानिया पिता स्व. संतोष सिंघानिया द्वारा आवेदित ग्राम सड्डू प.ह.नं. 44 राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर-07 (मोवा) स्थित भूमि खसरा नंबर 546/17, 546/32 रकबा 0.2300, 0.2300 हे. का सीमांकन न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर के रा.प्र.क्र./अ-12/वर्ष 2023-2024 रायपुर के आदेश दिनांक 15.10.2024 के परिपालन में दिनांक 05.11.2024 को समय 12 बजे पश्चात किया जाना है। अतः उक्त भूमि के सीमांकन में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो वह उक्त दिनांक/समय तक पटवारी हल्का नंबर 44 के सड्डू स्थित कार्यालय में दस्तावेजों सहित स्वयं अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद के किसी दावा या आपत्ति पर मेरे द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः सूचना जानें।

राजस्व निरीक्षक
रायपुर-07 (मोवा)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./202410116400030/बी-121/2023-24
ग्राम सेजबहार प.ह.नं. 82
रायपुर, दिनांक 09.10.2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामकुमार सोनकर पिता सीताराम सोनकर निवासी छ.ग. नगर टिकरापारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सेजबहार पटवारी हल्का नंबर 82 राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर-18 तहसील व जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 158/3 रकबा 0.0140 हे. भूमि के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर नामांतरण पश्चात राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज किया तथा ऋण पुस्तिका प्रदान किया गया जो कि संजय नगर रास्ते में कहीं गुम हो गया है। जिसके कारण आवेदक को ऋण पुस्तिका संबंधित कार्यों में असुविधा हो रही है। जिसकी सूचना थाना प्रभारी थाना टिकरापारा में दिया गया। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का डुप्लिकेट ऋण पुस्तिका प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतएव आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से अपनी लिखित आपत्ति दिनांक 29.10.2024 को इस न्यायालय में पेश करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर अतिरिक्त तहसीलदार
रायपुर

रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर उद्घोषणा

क्रमांक 14658/आर.सी./रा.वि.प्रा./2024
रायपुर दिनांक 25/10/24

प्राधिकरण की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास (हीरापुर) योजनांतर्गत फ्लैट क्रमांक टी-202 (प्रथम तल) क्षेत्रफल 290 वर्गफुट पर श्रीमती मंगला साहू पति श्री दिनेश साहू पता-एमडीएस 158, फेस-01, कबीर नगर, रायपुर छ.ग. को आबंटित हैं। आबंटिती के द्वारा उक्त फ्लैट को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त फ्लैट को फ्री-होल्ड किये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति / दावा हो तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही संपादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति / दावा ग्राह्य नहीं होगा।

दिनांक 23.10.2024 को जारी।

सहायक राजस्व अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर उद्घोषणा

क्रमांक 14890/आर.सी./रा.वि.प्रा./2024
रायपुर दिनांक 29/10/24

प्राधिकरण की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास (हीरापुर) योजनांतर्गत श्री ठाकुर दास पिता स्व. श्री टीकम दास द्वारा फ्लैट क्रमांक आर-110 (भूतल) क्षेत्रफल 290 वर्गफुट फ्री-होल्ड पर धारित है। फ्री-होल्डधारी द्वारा भूखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.2024 को प्राप्त कर उक्त फ्लैट को क्रेता श्री जी अप्पल स्वामी पिता-श्री रमलु स्वामी पता- फ्लैट क्रमांक-आर-110 आरडीए कालोनी हीरापुर, जिला-रायपुर छ.ग. को दिनांक 09.07.2024 को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय किया गया है। क्रेता द्वारा उक्त फ्लैट हेतु प्राधिकरण में नाम दर्ज करने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त फ्लैट का नामांतरण क्रेता के नाम पर किये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति/ दावा हो तो इस उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति / दावा प्रस्तुत नहीं होने पर शासन के प्रचलित नियमो के अनुसार क्रेता का नाम दर्ज करने की कार्यवाही संपादित करा दी जावेगी। जिसके बाद कोई आपत्ति/दावा ग्राह्य नहीं होगा।

दिनांक 29.10.24 को जारी।

सहायक राजस्व अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
ईश्तहार

ग्राम सिवनी
रा.प्र.क्र. अ/6 अ वर्ष 2022-2023

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक रमेश कुमार शुक्ला व अन्य मधुसुदन शुक्ला निवासी सिवनी तह अभनपुर जि रायपुर छ.ग. द्वारा ग्राम सिवनी प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. केन्द्री तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. में स्थित ख.नं. 1181/384 रकबा 0.065 हे. आवेदक के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि का नक्शा सुधार बाबत् आवेदन पत्र अपर कलेक्टर महोदय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो अनुविभागीय अधिकारी रा. अभनपुर के माध्यम से जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। तत्संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति /संस्था/समूह को कोई दावा आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति आवेदन इस न्यायालय में नियत पेशी तारीख 06/11/2024 तक न्यायालयीन समय में स्वतः अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकते है, नियत तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से आज दिनांक 17.10.2024 को जारी किया गया।

मुहर तहसीलदार
अभनपुर

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, SEIKH NAZRUL ISLAM S/O SEIKH BECHU ALI resident of MIG M 2/26 KABIR NAGAR TATIBANDH RAIPUR (C.G.) -492099 have changed my old name SEIKH NAZRUL ISLAM S/O SEIKH BECHU ALI so in future I should be recognized by my new name that is SEIKH NAJRUL ISLAM S/O SEIKH BECHU ALI in all Government and other documents.

SEIKH NAJRUL ISLAM
MIG M 2/26 KABIR NAGAR TATIBANDH RAIPUR (C.G.) -492099

शपथ-पत्र

मैं विनोद कुमार लखीसरानी, पिता श्री गुरूमुख दास लखीसरानी, निवासी-फ्लैट नंबर-107, बालाजी होम्स, विशाल नगर, रायपुर (छ.ग.) का निवासी हूँ, जो निम्नकथन शपथपूर्वक करता हूँ:-

01. यह कि, मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार सत्य एवं सही है।
02. यह कि, मुझे पूर्व में विनोद लखीसरानी पिता श्री गुरूमुख दास लखीसरानी के नाम से जाना व पहचाना जाता था।
03. यह कि, मेरा वास्तविक नाम विनोद कुमार लखीसरानी पिता श्री गुरूमुख दास लखीसरानी है, अब वर्तमान में मुझे इसी नाम जाना व पहचाना जाता है जिसके समर्थन में यह शपथ पत्र आप महोदय के समक्ष प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, ANUSHKA SINGH THAKUR W/O SHAURYADITYA SINGH resident of H-19, ANUPAM NAGAR, RAIPUR PIN-492001 (C.G.) have changed my old name ANUSHKA SINGH THAKUR W/O SHAURYADITYA SINGH so in future I should be recognised by my new name that is ANUSHKA SINGH W/O SHAURYADITYA SINGH in all government and other documents .

ANUSHKA SINGH
H-19, ANUPAM NAGAR
DISTRICT- RAIPUR PIN - 492001 (C.G)

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, LOKNATH S/O SHAYAMRATAN resident of 218 GURU PARA NEW CHANGORA BHATA NEAR RAM MANDIR RAIPUR (C.G.) 492001, have changed my old name LOKNATH S/O SHAYAMRATAN so in future I should be recognized by my new name that is LOKNATH SAHU S/O SHAYAMRATAN in all Government and other documents.

LOKNATH SAHU
218 GURU PARA NEW CHANGORA BHATA NEAR RAM MANDIR RAIPUR (C.G.) 492001